राजस्व लोक अदालत केम्प दूदवा तहसील पचपदरा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम आर.ए.एस

मुकदमा न0 06/2018

2018/00137

अपीलांण्टगण

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1 हर्षनराम किशन कुमार दल्लाराम पि0 नाथाराम कौम जाट निवासी निम्बली दुदवा

1. सरपंच ग्राम पंचायत दूदवा
2. जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

अपील अंतर्गत धारा 75 रा.भू.राजस्व अधिनियम विरूद्व

आदेश दिनांकः–03.05.2018

यह अपील अपीलान्ट के द्वारा अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत दूदवा के नामान्तरकरण सख्या 107 पर ग्राम पंचायत दूदवा द्वारा पारित आदेश के विरूद्व न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत दूदवा में प्रस्तुत की गई है।

सक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम निम्बली के ख0न0 350/58, 353/61, 378/264 रकबा क्रमशः 56, 33.01, 15.04 बीघा एवं ग्राम बागुण्डी के ख0न0 522/30 रकबा 27.04 बीघा में हमारा नाम हरचन्द केसाराम दौलाराम पि0 नाथाराम जाट सहखातेदारी में वर्तमान जमाबंदी में दर्ज है जो जरिये नामान्तरकरण 107 की स्वीकृति अनुसार नाथाराम के फौत होने पर दर्ज वारिसान अनुसार आया जो अशुद्व गलत है। जबकि अपीलाण्ट का सही एव वास्तविक नाम दस्तावेजों के अनुसार हर्षनराम किशन कुमार दल्लाराम पि0 नाथाराम है। उक्त अपील पत्र के संबंध मे पटवारी/आरआई/तहसीलदार की संयुक्त रिपोर्ट प्राप्त की गई उक्त रिपोर्ट अनुसार अपीलाण्ट का नाम हर्षनराम किशन कुमार दल्लाराम पि0 नाथाराम सही नाम दर्ज करने की सिफारिश की है।

अतः अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व पटवारी/आरआई/ दूदवा, उप तहसीलदार जसोल की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार प्रसतुत दस्तावेज, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशनकार्ड, पेन्शन पी.पी.ओ, शपथपत्र तथा सरपंच ग्राम पंचायत दूदवा की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का राजस्व रेकर्ड मे नाम हरचन्द केसाराम दौलाराम पि0 नाथाराम दर्ज है जबकि सही नाम हर्षनराम किशन कुमार दल्लाराम पि0 नाथाराम है।

पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन व अध्ययन किया गया । अपीलान्टगण को सुना गया। मजमे आम मे उपस्थित लोगो से पूछताछ की गई। इसके आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर मौजा निम्बली, ग्राम पंचायत ददूवा, मौजा बागुण्डी, ग्राम पंचायत आकडली मे दर्ज ख0न0 19, 50 हरचन्द, केसाराम दौलाराम पि0 नाथाराम के स्थान पर हर्षनराम, किशन कुमार, दल्लाराम, पि0 नाथाराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

आदेश राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार दूदवा में सुनाया गया ।
पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एव पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प..

Scanned by CamScanner